कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

शुद्धी आदेश

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा मुकदमा नम्बर 217/2019 वउनवानी रामचरण पुत्र भगवत जाति गुजर निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट में दिनांक 05.12.2019 को निर्णय पारित कर खसरा नम्बर 644/3/0.08 है0 जो कि प्रार्थी की खातेदारी का रकबा है । पर जाने के लिये खसरा नम्बर 645/0.88 है0 में होकर 30 फुट चौडा रास्ता डीएलसी दर की दोगुना राशि जमा कराके रास्ते की तरमीम नक्शे में करने के आदेश प्रदान किये गये थे।

निर्णय दिनांक 05.12.2019 की पालना के संबन्ध में पटवारी हल्का गोपालगढ ने अवगत कराया है कि आराजी खसरा नम्बर 645/0.88 है0 में से 0.20 है0 रकबा आरएसी 14 वीं बटालियन गोपालगढ के नाम आवंटित हो चुका है। जिसकी तरमीम 30 फुट चौडा रास्ते दिये जाने की भूमि को सम्मलित करते हुए की गई है। वर्तमान में भू0 प्रबन्ध विभाग से प्राप्त रिंकार्ड के अनुसार गत खसरा नम्बर 644 का हाल खसरा नम्बर 690 व खसरा नम्बर 645 का हाल खसरा नम्बर 691 बना है तथा आरएसी 14 वीं बटालियन को आवंटित 0.20 है0 रकबा की तरमीम भी दक्षिण पश्चिम के कोने पर नवीन खसरा नम्बर 2502/691 डालकर करदी है। निर्णय की पालना में खसरा नम्बर 644 हाल खसरा नम्बर 690 से शुरू होकर खसरा नम्बर 691 की पश्चिमी मेड की किनारे पर 30 फुट चौडा रास्ता कायम कर तरमीम की जानी है। जो नवीन नक्शे के अनुसार संभव नहीं है।

पटवारी हल्का द्वारा नवीन खसरा नम्बर 691/0.87 में से पश्चिमी मेड के सहारे खसरा नम्बर 690 से दक्षिण से उत्तर तक पापडा रोड तक 30 फुट चौडा रास्ता जिसका कुल रकबा 488 वर्गमीटर होता है। तरमीम करने एवं आरएसी 14 वीं बटालियन के लिये आवंटित भूमि 0.20 है0 की तरमीम रास्ते के सहारे 2,123 फुट चौडाई में तथा 175 फुट लम्बाई तक शुद्व करने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

पूर्व में जारी निर्णय दिनांक 05.12.2019 के परिपेक्ष में पटवारी हल्का गोपालगढ को उसके द्वारा प्रस्तावित जमीन के अनुसार शुद्धी करने की आज्ञा प्रदान की जाती है।

निर्णय की प्रति तथा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति तहसीलदार पहाडी को प्रेषित कर राजस्व नक्शा में शुद्धी करने हेतु पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner